शोध मंथन Vol. XVI No.I Jan.- Mar. 2025 ISSN: (P) 0976-5255 (e) 2454-339X
Impact Factor 8.877 (SJIF)

पंचायतीराज और महिलाओं का सशक्तिकरण– राजस्थान के बाडमेर जिले का अध्ययन

प्राप्तिः 12.03.2025
स्वीकृतः 24.03.2025

धनुजा
शोधार्थी
जय नारायन विश्वविघालय
जोधपुर
ईमेलः dhanujachoudhary1993@gmail.com

23

सारांश

यह लेख राजस्थान के बाडमेर जिले में ग्रामीण स्थानीय स्वशासन (आरएलएसजी) के माध्यम से महिलाओं के सषक्तिकरण पर केंद्रित है। राजनीतिक भागीदारी के माध्यम से सशक्तिकरण ने महिलाओं को मुख्यधारा में लाकर उन्हें विकसित किया है और समाज के लिए निर्णय लेने की प्रक्रिया में भाग लेने के लिए खुद को सक्षम बनाया है। भारत में पिछड़े वर्ग जैसे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और महिलाएँ लंबे समय से समाज में हाशिए पर रही हैं। स्वतंत्रता के बाद, संविधान ने उनके सशक्तिकरण के लिए नियम प्रदान किए हैं। ग्रामीण स्थानीय स्वशासन की सफलता काफी हद तक उन प्रतिनिधियों और अधिकारियों पर निर्भर करती है, जिन्हें ग्रामीण स्थानीय स्वशासन संस्थाओं के आदर्शों के प्रति गहराई से प्रतिबद्ध होना चाहिए। यह बात सर्वविदित है कि ग्रामीण स्थानीय स्वशासन संस्थाओं ने आम आदमी को अपेक्षित लाभ नहीं पहुँचाया है, लेकिन इस तथ्य से इनकार नहीं किया जा सकता कि जमीनी स्तर पर लोकतंत्र की इन संस्थाओं ने विभिन्न क्षेत्रों में नए बदलाव लाए हैं।

मुख्य शब्द

बाडमेर, महिला, सशक्तीकरण, स्थानीय स्वशासन, ग्रामीण

परिचय

राजस्थान, भारतीय संघ का एक राज्य इस अध्ययन का न्यादर्श राज्य है। राज्य नेतृत्व द्वारा नियमित रूप से आरएलएसजी निकायों के चुनाव कराने में विफलता और राजनीतिक कारणों से उन्हें पीछे छोड़ने की प्रवृत्ति ने इन निकायों को लोकतंत्र का एक मात्र व्यंग्य बना दिया। हालांकि, 73वें संशोधन के मद्देनजर राजस्थान राज्य ने राजस्थान पंचायत राज अधिनियम को लागू करके नए आरएलएसजी की शुरुआत की और 1995 के आरएलएसजी चुनावों के बाद प्रणाली की त्रि–स्तरीय संरचना स्थापित और कार्यरत है। इस अध्ययन का नमूना जिला राज्य का बाडमेर जिला है।

अध्ययन का उद्देश्य

1. राजस्थान के बाडमेर जिले में ग्रामीण स्थानीय स्वशासन में निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों की भागीदारी के स्तर का आकलन और मूल्यांकन करना।
2. ग्रामीण स्थानीय स्वशासन की निर्णय लेने की प्रक्रिया में महिलाएँ किस प्रकार भाग ले रही हैं?

3. क्या निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों द्वारा व्यक्तिगत सशक्तीकरण की प्रक्रिया का अनुभव किया गया है? यदि हाँ, तो यह कैसे प्रकट हुआ है और उनके जीवन में महत्वपूर्ण अंतर कैसे लाया है?

यह लेख क्षेत्र अध्ययन से एकत्रित प्राथमिक डेटा पर आधारित है। उत्तरदाताओं के साथ बातचीत करने वाले हर तरह के शोध कार्य में भाषा हमेशा एक महत्वपूर्ण कारक रही है। निर्वाचित प्रतिनिधियों के प्रोफाइल का दस्तावेजीकरण केवल उनके साथ प्रत्यक्ष साक्षात्कार के माध्यम से ही संभव हो सकता है।

पंचायतीराज और महिलाओं पर इसके प्रभाव का एक महत्वपूर्ण मूल्यांकन 1995–2024 की अवधि से राजस्थान के बाडमेर जिले के विशेष संदर्भ में विकासशील देशों में पंचायतीराज परिचालन के संरचनात्मक और कार्यात्मक पहलुओं द्वारा जांचा जा सकता है। यह देखा जा सकता है कि बहुत सारे बदलाव हुए हैं, लेकिन जिस फोकस बिंदु पर राजस्थान सरकार द्वारा स्थानीय स्वशासन को आरक्षण प्रदान किया गया है, वह एक बड़ी चिंता का विषय है। जैसा कि पहले बताया गया है, राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 के अनुसार नया पंचायतीराज राजस्थान के बाडमेर जिले में 1995 से कार्य कर रहा है।

महिलाओं की भागीदारी और सशक्तिकरण

राजनीतिक भागीदारी के माध्यम से सशक्तिकरण ने महिलाओं को मुख्यधारा में लाकर उन्हें विकसित किया है और समाज के लिए निर्णय लेने की प्रक्रिया में भाग लेने के लिए खुद को सक्षम बनाया है। भारत में पिछड़े वर्ग जैसे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और महिलाएँ लंबे समय से समाज में हाशिए पर रही हैं। स्वतंत्रता के बाद, संविधान ने उनके सशक्तिकरण के लिए नियम प्रदान किए हैं। ग्रामीण स्थानीय स्वशासन भारतीय व्यवस्था का एक बुनियादी सिद्धांत है जिसे मेहता आयोग की सिफारिश के बाद 1959 में अपनाया गया था। ग्रामीण स्थानीय सरकार प्रणाली भारतीय समाज के पुराने स्वरूप में पहले से ही मौजूद थी, फिर भी, यह समाज के केवल कुछ लोगों द्वारा ही नियंत्रित और नियंत्रित थी और समाज के निचले वर्ग की भूमिका को सीमित किया जा रहा था। पंचायतीराज का मुख्य उद्देश्य देश के शासन में लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करना है तथा इसमें महिलाओं की भागीदारी की आवश्यकता पर बल दिया जाता है। पंचायतीराज में महिलाओं की भागीदारी आवश्यक है, क्योंकि इससे उन्हें सशक्त बनाने तथा उनकी क्षमता निर्माण में सहायता मिलेगी, ताकि वे विकास के लिए दबाव समूहों की तरह कार्य कर सकें तथा जमीनी स्तर पर स्वतंत्र रूप से निर्णय लेने की प्रक्रिया में प्रभाव डाल सकें। यह एक स्थापित तथ्य है कि आरक्षण के प्रावधानों ने उन्हें पंचायतीराज संस्थाओं में राजनीतिक पद प्राप्त करने में सहायता की है, लेकिन केवल पद प्राप्त करने से भागीदारी की प्रभावशीलता का पता नहीं चलता है। इसलिए, पंचायतीराज में राजस्थान के बाडमेर जिले में संस्थाओं में उनकी भागीदारी के स्तरों का आकलन तथा मूल्यांकन करने का प्रयास किया गया है।

आंकड़ों से पता चलता है कि 46.18 प्रतिशत नेता कामकाज में सक्रिय रूप से भाग ले रहे हैं, जबकि 27.27 प्रतिशत नेताओं ने कहा है कि महिला प्रतिनिधि सक्रिय रूप से तथा स्वतंत्र रूप से भाग नहीं ले रही हैं, जबकि 20 प्रतिशत ने महसूस किया है कि वे सत्ता साझा करने के लिए पर्याप्त रूप से सक्षम नहीं हैं तथा पंचायतीराज में अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करने में असमर्थ हैं। केवल 4.84 प्रतिशत नेताओं का मानना है कि महिला प्रतिनिधि सक्रिय रूप से कामकाज में भाग नहीं ले रही हैं। यह दर्शाता है कि ग्राम पंचायत स्तर के नेताओं ने माना है कि महिला प्रतिनिधि अक्षम हैं और

अपने कर्तव्यों और जिम्मेदारियों को निभाने में असमर्थ हैं। यह उनकी अशिक्षा, अज्ञानता, पितृसत्तात्मक पारिवारिक व्यवस्था और ग्रामीण समाजों में प्रचलित सामाजिक–सांस्कृतिक मूल्यों के कारण है। हालांकि, उच्च स्तर के ग्रामीण नेताओं ने माना है कि महिलाओं को पंचायतीराज में अपना प्रदर्शन दिखाने के लिए पर्याप्त अवसर प्रदान किए जाने चाहिए।

आंकड़ों से पता चलता है कि निर्वाचित नेताओं का बहुमत (56.96 प्रतिशत) आरएलएसजी में आरक्षण के पक्ष में है। यह दर्शाता है कि वंचित वर्ग इन संस्थानों में लोगों के प्रतिनिधि के रूप में भूमिका निभाने के लिए पर्याप्त सक्षम हैं और उन्होंने उन्हें यह अवसर प्रदान करने का समर्थन किया है। हालांकि, 26.06 प्रतिषत निर्वाचित नेताओं ने विभिन्न कारणों से आरक्षण का विरोध किया है और 16.96 प्रतिशत उत्तरदाताओं को इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है।

आंकड़ों से पता चलता है कि अधिकांश उत्तरदाताओं (58.78 प्रतिशत) का मानना है कि महिलाओं का प्रदर्शन उनके पुरुष समकक्षों के बराबर नहीं है। हालांकि, यह प्रवृत्ति तीन अलग–अलग स्तरों पर भिन्नता दिखा रही है। ग्राम पंचायत स्तर पर अधिकांश नेताओं (66.66 प्रतिशत) पीएस स्तर पर महत्वपूर्ण संख्या में नेताओं (46.66 प्रतिशत) और पंचायत समिति स्तर पर काफी संख्या में नेताओं (20 प्रतिशत) ने एक ही राय व्यक्त की है। हालांकि, 38.77 प्रतिशत कुल उत्तरदाताओं ने स्वीकार किया है कि पंचायतीराज में महिला प्रतिनिधियों की भूमिका और प्रदर्शन उनके पुरुष नेताओं के बराबर हैं। इनमें से 36.96 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने कहा है कि महिला नेता पुरुषों के बराबर भूमिका निभा रही हैं, लेकिन कुछ हद तक। जबकि केवल 1.81 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने कहा है कि उनकी भूमिका और प्रदर्शन पुरुषों के साथ काफी हद तक समान हैं।

आंकड़ों से पता चलता है कि पंचायत समिति स्तर पर लगभग 80 प्रतिशत नेता, पंचायत समिति स्तर पर 53.32 प्रतिशत और ग्राम पंचायत स्तर पर 30 प्रतिशत का मानना है कि महिला नेता पंचायतीराज में अपने पुरुष नेताओं के बराबर भूमिका निभा सकती हैं। इन उत्तरदाताओं में पंचायतों के सभी स्तरों पर महिला नेता शामिल हैं।

एक पंचायत समिति की महिला अध्यक्ष ने कहा है कि महिलाओं को परिवार और समाज के मामलों में समान अवसर नहीं मिल रहे हैं। सामाजिक मान्यता के अभाव में महिलाओं से पंचायतों में समान भूमिका निभाने की उम्मीद कैसे की जा सकती है? गांवों में महिलाओं से पर्दे में रहने की उम्मीद की जाती है और उन्हें चौपालों में प्रवेश करने की आवश्यकता नहीं होती है क्योंकि इसे हमेशा पारंपरिक ग्रामीण समाज में एक महिला की मर्यादा (संस्कृति) के खिलाफ माना जाता है। यह दर्शाता है कि महिला नेताओं का प्रदर्शन संतोषजनक नहीं है, क्योंकि वे वास्तव में ग्राम पंचायतों में कोई भूमिका नहीं निभा सकती हैं आमतौर पर यह आरोप लगाया जाता रहा है कि पंचायतीराज संस्थाओं में महिला नेताओं का प्रतिनिधित्व उनके परिवार के सदस्य करते हैं।

आंकड़ों से पता चलता है कि उत्तरदाताओं के पूर्ण बहुमत (74.54 प्रतिशत) ने अपनी राय दी है कि महिला नेताओं का प्रतिनिधित्व प्रॉक्सी में किया जा रहा है। इन उत्तरदाताओं में से, 33.33 प्रतिशत ने माना है कि इस प्रथा ने काफी हद तक भूमिका निभाई है, जबकि 41.21 प्रतिशत ने कहा है कि यह कुछ हद तक है। हालांकि, 22.24 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने प्रॉक्सी प्रतिनिधित्व के दृष्टिकोण से असहमति जताई है और इन उत्तरदाताओं में पंचायतों के सभी स्तरों पर महिला नेता शामिल हो सकती हैं।

पंचायतीराज में प्रॉक्सी प्रतिनिधित्व की प्रथा है। क्षेत्रीय सर्वेक्षणों के दौरान यह देखा गया है कि ग्राम पंचायत में अधिकांश महिला नेताओं की ओर से उनके पुरुष परिवार के सदस्य, यानी पति या बेटे प्रतिनिधित्व करते हैं। महिला नेता वास्तविक अर्थों में बैठकों में शामिल नहीं होती हैं, लेकिन बैठकों की कार्यवाही समाप्त होने के बाद उनके हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान लिया जाता है। यह ग्राम पंचायत स्तर पर महिला अध्यक्षों के मामले में भी लागू होता है जहां उनके वार्ड वास्तविक कामकाज करते हैं क्योंकि वे अशिक्षित हैं और अपनी राजनीतिक गतिविधियों के बारे में अनभिज्ञ हैं। आंकड़ों से पता चलता है कि केवल 5.45 प्रतिशत उत्तरदाताओं का मानना है कि महिलाएँ अधिकारियों के साथ काफी हद तक प्रभावी तरीके से बातचीत कर सकती हैं। उत्तरदाताओं की एक बड़ी संख्या (41.81 प्रतिशत) ने माना है कि महिलाएँ किसी भी तरह से अधिकारियों के साथ बातचीत नहीं कर सकती हैं। लगभग आधे उत्तरदाताओं (46.06 प्रतिशत) ने यह विचार व्यक्त किया है कि महिलाएँ बातचीत करती हैं, लेकिन केवल कुछ हद तक। इसका मतलब है कि महिलाओं द्वारा अधिकारियों के साथ बातचीत की प्रभावशीलता ग्राम पंचायत स्तर पर न्यूनतम है। यह दर्शाता है कि महिला प्रतिनिधि ग्राम पंचायत स्तर पर अधिक शिक्षित, सक्षम और स्वतंत्र हैं।

इस प्रकार बड़ी संख्या में महिलाओं ने पिछले पंचायतीराज चुनावों में चुनाव लड़ा और कुछ मामलों में, वे सामान्य सीटों पर भी सफल रहीं। इसका श्रेय केवल नए पंचायती राज अधिनियम और उनकी जीतने की क्षमता को जाता है। पंचायतीराज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण प्रणाली ने न केवल उन्हें अवसर प्रदान किया है बल्कि इन संस्थाओं की बैठकों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया है और निर्णय लेने की प्रक्रिया को प्रभावित किया है।

हालांकि, इस प्रकार का राजनीतिक सशक्तिकरण ग्राम पंचायत स्तर पर नगण्य है, लेकिन यह पंचायत समिति और जिला परिशद स्तरों पर संतोषजनक है। इस प्रकार, राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 ने राज्य की पंचायतीराज संस्थाओं में महिला प्रतिनिधियों के अनुपात में वृद्धि की है। हालाँकि इस अवसर का वास्तविक अर्थों में उनके द्वारा लाभ नहीं उठाया गया है और पंचायतीराज में उनकी राजनीतिक लामबंदी और सक्रिय भागीदारी, विशेष रूप से जीपी स्तर पर वांछनीय मानक की नहीं है । इसका मतलब यह नहीं है कि इस संबंध में अधिनियम में कोई कमजोरी है। वास्तविक अर्थों में, यह उनके सामाजिक और आर्थिक पिछड़ेपन के कारण है। इसलिए, ग्रामीण समाज में महिलाओं के राजनीतिक सशक्तिकरण के लिए सामाजिक और आर्थिक कारकों की आवश्यकता है।

बाडमेर जिले में पंचायतीराज : प्रमुख निष्कर्ष

राजस्थान पंचायती राज अधिनियम में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए उनकी जनसंख्या के अनुपात में सीटों के आरक्षण का प्रावधान है, अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए 21, यहां अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों के लिए कुल आरक्षण 50 प्रतिशत और महिलाओं के लिए 50 प्रतिशत से अधिक नहीं है। परियोजना इस बात पर प्रकाश डालती है कि इस प्रावधान के माध्यम से महिलाएं निश्चित रूप से सत्ता में आई हैं, लेकिन वे उचित प्रशिक्षण, अनुभव और शिक्षा के बाद ही अपनी अपेक्षित भूमिका निभा सकती हैं। पंचायतीराज चुनावों का सबसे खास पहलू यह है कि संघीय और राज्य चुनावों की तुलना में पंचायतों के लिए मतदान के अर्थ में गुणात्मक अंतर

होता है। जबकि संघीय/राज्य चुनाव बहुत अच्छी तरह से आयोजित किए जाते हैं, गांव स्तर की राजनीति स्वाभाविक रूप से समस्याग्रस्त होती है।

दरअसल, कुछ ऐतिहासिक चुनावी कुप्रथाएँ, खास तौर पर हिंसा का इस्तेमाल और मतपेटियों में मतों की गड़बडियाँ भरना, जो कम होती जा रही हैं, गाँव स्तर के चुनावों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा रही हैं। इसी स्तर पर हम देखते हैं कि अनौपचारिक संस्थागत प्रथाएँ महिला उम्मीदवारों के खिलाफ संरचनात्मक पूर्वाग्रहों को मजबूत कर रही हैं। आरएलएसजी के माध्यम से महिलाओं के वास्तविक राजनीतिक सशक्तीकरण के रास्ते में सबसे बड़ी बाधा उम्मीदवारी के लिए नामांकन दाखिल करने के चरण में ही आती है। अधिकांश महिलाएँ आरएलएसजी संस्थाओं के चुनावों के लिए अपनी उम्मीदवारी अपनी इच्छा से नहीं, बल्कि पति, बेटे या परिवार या गाँव के किसी अन्य पुरुष सदस्य के दबाव में या किसी राजनीतिक दल के दबाव में दाखिल करती हैं। यह घटना अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के मामले में और भी अधिक स्पष्ट है। आरक्षित कोटे को पूरा करने के लिए, राजनीतिक कार्यकर्ताओं को महिलाओं को मनाने के लिए कई तरह की रणनीतियाँ अपनानी पड़ती हैं और सबसे अधिक अपनाई जाने वाली रणनीतियों में से एक है परिवार के सदस्यों के माध्यम से महिलाओं को प्रभावित करना।

अगर महिलाओं को परिवार के पुरुष सदस्यों का समर्थन नहीं मिलता है तो वे चुनाव में कोई मौका नहीं पा सकती हैं। यहां तक कि चुनाव खर्च के मामले में भी, इसका प्रबंधन पति या परिवार के अन्य पुरुष सदस्यों के हाथों में छोड़ दिया जाता है, इस प्रकार महिला के हाथों में कोई शक्ति नहीं रहती है । ग्राम पंचायत स्तर पर संसाधनों और अनुबंधों के आवंटन में भी भ्रष्टाचार व्याप्त है। कई राज्यों में पंचायतीराज संस्थाओं के चुनावों में हिंसा भी हावी हो गई है, जिससे वंचित वर्गों की भागीदारी और अधिक कठिन हो गई है।

हालाँकि महिलाएँ पंचायत कार्यालय के अंदर होने वाली बैठकों में स्वतंत्र रूप से भाग ले सकती हैं, लेकिन ग्राम सभा की बैठकों में महिलाओं की उपस्थिति कम होती है क्योंकि ऐसी बैठकें ज़्यादातर खुली जगहों पर होती हैं और उनमें मुख्य रूप से पुरुष ही शामिल होते हैं। कई गांवों में ऐसा भी होता है कि घर की बहुएं (बहू) जो आम तौर पर दूसरे गांव की होती हैं, उन्हें अपने पति के गांव के पुरुषों के साथ सामाजिक मेलजोल की अनुमति नहीं होती। इसलिए सार्वजनिक स्थान पर पंचायतीराज गतिविधियों में भाग लेना पूरी तरह से असंभव है। कभी–कभी ऐसा भी होता है कि एक ही ग्राम पंचायत के अंतर्गत कई गांव आते हैं, ऐसे मामलों में महिलाओं का प्रतिनिधित्व और भागीदारी मुश्किल हो जाती है क्योंकि महिलाओं की गतिशीलता पुरुषों की तुलना में बहुत कम होती है।

सरपंच पति/सरपंच पुत्र का एक नया वर्ग उभरा है जो अपनी पत्नी/मां की ओर से पंचायत के मामलों का प्रबंधन करते हैं। अनुसूचित जाति की महिला के मामले में, ऐसे प्रतिबंध और भी बाध्यकारी हो जाते हैं क्योंकि उच्च जाति की महिला और पुरुष दोनों ही सदस्य पवित्रता–प्रदूषण प्रथाओं के कारण पंचायतीराज बैठकों में उनके साथ घुलने–मिलने से इनकार कर देते हैं। निचली जाति के प्रतिनिधियों को उच्च जातियों से बहुत अधिक सहयोग नहीं मिलता है और महिला सदस्य उच्च जाति के प्रतिनिधियों के सामने बोलने की हिम्मत नहीं करती हैं।

चुनाव जीतने के लिए राजनीतिक दल के समर्थन की आवश्यकता होती है। इसके कारण निर्वाचित उम्मीदवार (पुरुष/महिला) पार्टी लाइन के प्रति वफादार रहते हैं। चूंकि राजनीतिक दलों पर तथाकथित उच्च जाति लॉबी का सबसे अधिक नियंत्रण है, इसलिए वंचित वर्गों को अपनी आवाज बुलंद करने में बहुत कठिनाई होती है या उन्हें पार्टी के हुक्मों के आगे महज रबर स्टैंप बनकर रहना पड़ता है। संसाधनों की कमी के कारण लैंगिक संवेदनशील विमर्श से जुड़े मुद्दों को उठाने की क्षमता भी सीमित है, क्योंकि पैसा सरकारी योजनाओं के अनुसार खर्च करना पड़ता है और इसमें बहुत कम लचीलापन होता है।

निष्कर्ष

निष्कर्ष के तौर पर, यह कहा जा सकता है कि पंचायतीराज की सफलता काफी हद तक उन प्रतिनिधियों और अधिकारियों पर निर्भर करती है, जिन्हें पंचायतीराज संस्थाओं के आदर्शों के प्रति गहराई से प्रतिबद्ध होना चाहिए। यह बात सर्वविदित है कि पंचायतीराज संस्थाओं ने आम आदमी को अपेक्षित लाभ नहीं पहुँचाया है, लेकिन इस तथ्य से इनकार नहीं किया जा सकता कि जमीनी स्तर पर लोकतंत्र की इन संस्थाओं ने विभिन्न क्षेत्रों में नए बदलाव लाए हैं। इस तरह के विकास का श्रेय उन प्रतिनिधियों और अधिकारियों को जाता है जिन्होंने इन संस्थाओं में निस्वार्थ भाव से काम किया है। इस बात की पूरी उम्मीद है कि पंचायतीराज समग्र रूप से समाज की महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए काम करेगी और आने वाले दिनों में स्वशासन, दक्षता और कल्याण की अवधारणा को साकार करेगी।

संदर्भ

1. बानू, जेनब (2001), आदिवासी महिला सशक्तीकरण और लैंगिक मुद्दे, नई दिल्लीः कनिष्क प्रकाशक।
2. चौहान, आभा (2003), "मध्य प्रदेश के विशेष संदर्भ में अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायतों में महिलाओं की भागीदारी", भारत में स्थानीय सरकार के माध्यम से महिला सशक्तीकरण का एक दशक।
3. राजस्थान सरकारः प्रशासनिक सुधार आयोग की रिपोर्ट – राजस्थान में पंचायती राज पर सातवीं, अध्यक्ष माथुर शिवचरण, जयपुर 2002।
4. बाड़मेर जिला अभिलेख
5. जिला परिषद, बाड़मेर, कार्यवाही के अभिलेख, 1995–2024।
6. पंचायत समिति, बाड़मेर, संगरिया, पीलीबंगा नोहर, भादरा और टिब्बी कार्यवाही के अभिलेख, 1995–2015।
7. हूजा, मीनाक्षी और हूजा, राकेश (1998), "राजस्थान में पंचायती राज–नीतिगत मुद्दे और चिंताएँ", द इंडियन जर्नल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, खंड ग्स्प्ट, संख्या 3, पृ० सं०–468–477।
8. हस्ट, एवलिन (2002) "राजनीतिक प्रतिनिधित्व और सशक्तिकरणः भारतीय संविधान में 73वें संशोधन के बाद उड़ीसा में स्थानीय सरकार के संस्थानों में महिलाएँ", हेडलबर्ग पेपर्स इन साउथ एशियन एंड कम्पेरेटिव पॉलिटिक्स, वर्किंग पेपर संख्या 6, अगस्त 2002